

1161

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025

06 (बजट)

/खाद्य,पटना, दिनांक-24/04/2025

प्रेषक,

मो0 नैय्यर इकबाल

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,

विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना, बिहार।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड 18-3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 75,26,000/- (पचहत्तर लाख छब्बीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में निम्नांकित तालिका के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01 वेतन	0002.01 01 वेतन	59,02,22,000	00
		0002.01 03 जीवन यापन भत्ता	36,59,38,000	00
		0002.01 04 मकान किराया भत्ता	5,90,23,000	00
		0002.01 05 परिवहन भत्ता	1,36,00,000	00
		0002.01 06 चिकित्सा भत्ता	1,05,96,000	00
		0002.01 07 अन्य भत्ता	10,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.01-वेतन		1,04,03,79,000	00
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0002.06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	30,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		30,00,000	00
3	11 यात्रा व्यय	0002.11 01 यात्रा व्यय	67,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.11-यात्रा व्यय		67,00,000	00
4	13 कार्यालय व्यय	0002.13 01 कार्यालय व्यय	80,00,000	00
		0002.13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	4,00,000	00
		0002.13 03 दूरभाष	2,00,000	00
		0002.13 04 विद्युत प्रभार	50,00,000	00
		0002.13 05 विधि प्रभार	3,00,000	00
		0002.13 06 वर्दी/पोशाक	0	0
		0002.13 10 भाडे की गाडी का भुगतान	3,00,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.13-कार्यालय व्यय		4,39,00,000	00
5	14 किराया महसूल एवं कर	0002.14 01 किराया महसूल एवं कर	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.14-किराया महसूल एवं कर		1,000	00
6	16 प्रकाशन और मुद्रण	0002.16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	1,00,00,000	75,26,000
	योग-18-3456.00.001.0002.16-प्रकाशन और मुद्रण		1,00,00,000	75,26,000
7	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	5,00,000	00
	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 03 प्रशिक्षण व्यय	20,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		25,00,000	00
8	21 सामग्री और पूर्तिया	0002.21 01 सामग्री एवं पूर्तिया	50,00,000	00

422

h

1160

	योग-18-3456.00.001.0002.21-सामग्री एवं पूर्तियाँ	50,00,000	00
9	26 विज्ञापन और प्रकाशन 0002.26 01 विज्ञापन और प्रकाशन	50,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.26-विज्ञापन और प्रकाशन	50,00,000	00
10	28-व्यवसायिक सेवार्य 00 02.28 02 संविदा सेवार्य	1,50,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.28 व्यवसायिक सेवार्य	1,50,00,000	00
11	51 मोटर वाहन 0002.51 01 मोटरगाडी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.51 मोटर वाहन	1,000	00

कुल योग-18-3456.00.001.0002 जिला प्रभार

1,13,14,81,000

75,26,000

2. कुल 75,26,000 /- (पचहत्तर लाख छब्बीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत् है।

क्र०	जिला का नाम	इकाई	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला पदाधिकारी पटना	16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	3,22,000
2	जिला पदाधिकारी नालन्दा		2,80,000
3	जिला पदाधिकारी भोजपुर		1,96,000
4	जिला पदाधिकारी बक्सर		1,54,000
5	जिला पदाधिकारी रोहतास (सारसाराम)		2,66,000
6	जिला पदाधिकारी कैमुर (भमुआ)		1,54,000
7	जिला पदाधिकारी गया		3,36,000
8	जिला पदाधिकारी औरंगाबाद		1,54,000
9	जिला पदाधिकारी नवादा		1,96,000
10	जिला पदाधिकारी जहानाबाद		98,000
11	जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर		2,24,000
12	जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी		2,38,000
13	जिला पदाधिकारी शिवहर		70,000
14	जिला पदाधिकारी वैशाली		2,24,000
15	जिला पदाधिकारी मोतीहारी (पू०चम्पारण)		3,78,000
16	जिला पदाधिकारी बेतिया (प०चम्पारण)		2,52,000
17	जिला पदाधिकारी सारण (छपरा)		2,80,000
18	जिला पदाधिकारी सीवान		2,66,000
19	जिला पदाधिकारी गोपालगंज		1,96,000
20	जिला पदाधिकारी दरभंगा		2,52,000
21	जिला पदाधिकारी मधुबनी		2,94,000
22	जिला पदाधिकारी समस्तीपुर		2,80,000
23	जिला पदाधिकारी सहरसा		1,40,000
24	जिला पदाधिकारी सुपौल		1,54,000
25	जिला पदाधिकारी मधेपुरा		1,82,000
26	जिला पदाधिकारी भागलपुर		2,24,000
27	जिला पदाधिकारी बाँका		1,54,000
28	जिला पदाधिकारी मुँगेर		1,26,000
29	जिला पदाधिकारी शेखपुरा		84,000
30	जिला पदाधिकारी लखीसराय		98,000
31	जिला पदाधिकारी जमुई		1,40,000
32	जिला पदाधिकारी खगड़िया		98,000
33	जिला पदाधिकारी बेगुसराय		2,52,000
34	जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ		1,96,000

3200

11

35	जिला पदाधिकारी अररिया	1,26,000
36	जिला पदाधिकारी किशनगंज	98,000
37	जिला पदाधिकारी कटिहार	2,24,000
38	जिला पदाधिकारी अरवल	70,000
39	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी	50,000
कुल योग		75,26,000

3. उक्त व्यय का वहन मुख्यशीर्ष-3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं0-18-3456000010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मदों में व्यय पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए किया जायेगा। महालेखाकार से व्यय का नियमित रूप से मिलान कराया जाय तथा निकासी के समय वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन के राशि अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का भी उल्लेख कराना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

5. जिला पदाधिकारी अधीनस्थ जिला आपूर्ति कार्यालय/अनुमंडल आपूर्ति कार्यालय को अपने स्तर से उपआवंटन निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय नहीं हो सकने वाली राशि का प्रत्यपण ससमय अवश्य कर दिया जाए।

7. यह राशि डा0 अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान अन्तर्गत कैम्प मोड में शिविर लगाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को राशन कार्ड निर्माण के निमित्त प्रति प्रखंड रुपये 14,000/- (चौदह हजार) की दर से राशि आवंटित की जाती है। संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त राशि को निदेशित कार्य हेतु ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्रों के विरुद्ध राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय के पश्चात् व्ययित राशि का व्यय प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 06 (बजट) / खाद्य, पटना, दिनांक- 22/4/25 24/04/2025
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 06 (बजट) / खाद्य, पटना, दिनांक- 22/4/25 24/04/25
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 06 (बजट) / खाद्य, पटना, दिनांक- 22/4/25 24/04/25
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी आपूर्ति निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 06 (बजट) / खाद्य, पटना, दिनांक- 22/4/25 24/04/25
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।